मॉड्यूल 5: बाल कल्याण समिति

सत्र 3: देखरेख और संरक्षण के ज़रूरतमंद बच्चों के संबंध में बाल कल्याण समिति के आदेश

अवधि: 30:57 मिनट

सत्र 3: देखरेख और संरक्षण के ज़रूरतमंद बच्चों के संबंध में बाल कल्याण समिति के आदेश

बाल संरक्षण के ई लर्निंग मॉड्यूल 5 के तीसरे सत्र में आप सभी का स्वागत है। इस सत्र में आप देखरेख और संरक्षण के ज़रूरतमंद बच्चों के संबंध में बाल कल्याण समिति द्वारा पारित विभिन्न आदेशों का अध्ययन करेंगे।

सत्र के अंत तक आप बता पाएंगे कि:

- देखरेख तथा संरक्षण के जरूरमंद बच्चों के संबंध में समिति द्वारा पारित विभिन्न आदेश (और संबंधित प्रारूप)
- देखरेख और संरक्षण के ज़रूरतमंद बच्चों का पुनर्स्थापन
- बाल कल्याण समिति के समक्ष लाए गए व्यक्ति की उम्र निर्धारण की प्रक्रिया

किशोर न्याय अधिनियम की धारा 37 (I) के अनुसार बाल कल्याण समिति द्वारा देखरेख तथा संरक्षण के ज़रूरतमंद बच्चों के संबंध में पारित आदेश

आईए बाल कल्याण समिति द्वारा पारित किए जा सकने वाले विभिन्न आदेशों पर एक दृष्टि डाली जाए।

जांच के बाद संतुष्ट होने पर, कि समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया बच्चा देखरेख और संरक्षण का ज़रूरतमंद है तथा सामाजिक जांच रिपोर्ट तथा बच्चे की इच्छाओं पर विचार करते हुए, बाल कल्याण समिति नीचे दिए गए आदेशों में से एक या एक से अधिक आदेश पारित कर सकती है:

- घोषित करना कि बच्चा देखरेख और संरक्षण का ज़रूरतमंद बच्चा है।
- बाल कल्याण अधिकारी या पदस्थ सामाजिक कार्यकर्ता की निगरानी में या बिना निगरानी के बच्चे को माता–पिता या अभिभावक या परिवार को सुपुर्द करना।
- इस नतीजे पर पहुंचने के बाद कि बच्चे के परिवार को ढूंढा नहीं जा पा रहा है या यदि ढूंढ लिया भी गया हो तो परिवार को बच्चा सुपुर्द करना बच्चे के हित में नहीं है, बच्चे को बाल गृह या उपयुक्त सुविधा या दत्तक–ग्रहण के लिए विशेषीकृत दत्तक–ग्रहण अभिकरण रखना।
- लम्बे समय या कुछ समय की देखरेख में बच्चे को उपयुक्त व्यक्ति के पास रखना।
- पालक देखरेख के आदेश।
- प्रायोजन के आदेश।

बाल कल्याण समिति द्वारा पारित अन्य निर्देश

देखरेख और संरक्षण के ज़रूरतमंद बच्चों की देखरेख और संरक्षण के कई पक्षों के लिए बाल कल्याण समिति कई प्रकार के निर्देश जारी करती है:

- बच्चे के देखरेख, संरक्षण और पुनर्वास हेतु ऐसे व्यक्तियों या संस्थाओं या सुविधाओं को निर्देशित करना जिनकी देखरेख में बच्चे को रखा गया है।
- तत्कालिक आश्रय और चिकित्सीय देखभाल, मनोचिकित्सा तथा मनोसामाजिक सहायता और इसके साथ–साथ आवश्यकतानुसार परामर्श, व्यावसायिक थेरेपी या व्यवहार परिवर्तन से संबंधित थेरेपी, कौशल विकास प्रशिक्षण, कानूनी सहायता, शैक्षणिक सेवाएं एवं अन्य विकास संबंधी गतिविधियां शामिल हों, के लिए आवश्यकतानुसार निर्देश देना भी शामिल है। इसके साथ ही ज़िला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) या राज्य सरकार और अन्य संस्थाओं के साथ तालमेल बनाए रखना और फॉलोअप करना।
- बच्चा दत्तक–ग्रहण (Adoption) के लिए कानूनी रूप से मुक्त है इसकी घोषणा करना।

समिति निम्न कार्यों के लिए भी आदेश पारित कर सकती है:

- पालक देखरेख के लिए उपयुक्त व्यक्ति घोषित करना
- पश्चात्वर्ती देखरेख
- किसी भी अन्य प्रकार का आदेश जो निर्धारित अन्य कार्यों से संबंधित है

आईए अब बाल कल्याण समिति द्वारा पारित किये जाने वाले कुछ आदेशों तथा इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ प्रारूपों को देखें जो नीचे दिए गए हैं:

- बच्चे को कानूनी रूप से दत्तक ग्रहण हेतु मुक्त घोषित करने का प्रमाण पत्र
- बच्चे को अभ्यर्पित करने का अनुबन्ध
- बच्चे को किसी संस्था में भेजने का आदेश
- माता–पिता, अभिभावक या उपयुक्त व्यक्ति द्वारा घोषणा पत्र
- देखरेख और संरक्षण के ज़रूरतमंद बच्चे की सामाजिक जांच रिपोर्ट
- निर्मुक्त सह पुनर्स्थापन आदेश
- मार्गरक्षा आदेश

सत्र के दौरान आप यह पहचान करने में सक्षम होंगे कि कौन से प्रारूपों को किस स्थिति में भरना है।

अब हम बच्चों को संस्थागत देखरेख या गैर संस्थागत देखरेख जैसे उपयुक्त सुविधा, उपयुक्त व्यक्ति, पालक देखरेख, प्रायोजन के बारे में दिए गए आदेशों के बारे में जान गए हैं।

आईए अब इन संस्थाओं के बारे में और जानकारी प्राप्त करें और यह भी जानें कि देखरेख और संरक्षण के ज़रूरतमंद बच्चों को इन सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने में बाल कल्याण समिति की भूमिका क्या है।

उपयुक्त सुविधा

- समिति पर्याप्त छानबीन के बाद ऐसी उपयुक्त सुविधा को चिन्हित करेगी जो किसी सरकारी संस्था द्वारा अथवा तत्समय लागू किसी कानून के अधीन पंजीकृत किसी गैर सरकारी संस्था द्वारा चलाई जा रही हो और वह संस्था अस्थायी रूप से, किसी विशेष कारण के लिए, बच्चे की जिम्मेदारी तथा देखरेख के लिए मान्य है।
- लिखित रूप से कारणों को दर्ज करने के बाद समिति इस मान्यता को वापस ले सकती है।

आईए अब देखें कि उपयुक्त व्यक्ति कौन है।

उपयुक्त व्यक्ति

- किसी व्यक्ति के साख–सम्मान एवं अन्य प्रमाण पत्रों की विशेष जांच सत्यापन के बाद बाल कल्याण समिति संबंधित व्यक्ति को उपयुक्त व्यक्ति के रूप में मान्यता दे सकती है जिसे किसी बच्चे को एक निश्चित अवधि के लिए देखरेख, संरक्षण और उपचार करने की जिम्मेदारी दी जा सकती है।
- बाल कल्याण समिति मामले के अनुसार कारणों को लिखित रूप से दर्ज करने के बाद इस मान्यता को वापस ले सकती है।

किशोर न्याय अधिनियम, देखरेख और संरक्षण के ज़रूरतमंद बच्चों की देखरेख और संरक्षण के लिए गैरसंस्थागत तरीकों जैसे पालक देखरेख तथा प्रायोजन पर बल देता है।

पालक देखरेख (किशोर न्याय अधिनियम की धारा 44 के तहत)

- अल्पावधि या लम्बे समय तक के लिए बच्चों को समिति के आदेश से पालक देखरेख में रखा जा सकता है जिसमें समूह पालक देखरेख भी शामिल है। निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए ऐसा परिवार जो बच्चे के जैविक या दत्तक माता–पिता से संबंधित नहीं है या जो परिवार बच्चे से जुड़ा नहीं है, को यदि राज्य सरकार द्वारा अल्पावधि अथवा लम्बे समय के देखरेख के लिए उपयुक्त पालक परिवार माना गया है, तो उन्हें यह जिम्मेदारी दी जाएगी।
- पालक परिवार का चयन उनकी क्षमता, कार्य कुशलता, नीयत और बच्चों की देखरेख के पूर्व अनुभव के आधार पर होगा।
- पालक परिवार में भाई–बहनों को एक साथ रखने का पूरा प्रयास किया जाना चाहिए, जब तक कि एक साथ रखना बच्चों के हित में न हो।

क्या आप जानते हैं कि पालक परिवार को यदि जरूरत हो तो राज्य सरकार द्वारा ऐसे परिवार को वित्तीय सहयता दी जाती है?

- राज्य सरकार बच्चों की संख्या को ध्यान में रखते हुए ज़िला बाल संरक्षण इकाई के माध्यम से पालक देखरेख करने वाले परिवार को मासिक रूप से धन राशि उपलब्ध कराएगी।
- बच्चे के माता–पिता एक निश्चित अंतराल पर पालक देखरेख में रह रहे अपने बच्चे से मिल सकते हैं बशर्ते कि समिति की नज़र में माता–पिता का मिलना बच्चे के हित में हो।
- आपके लिए यह जानना ज़रूरी है कि पालक परिवारों का बच्चों के प्रति उतना ही उत्तरदायित्व होता है जैसा कि अपने परिवार का होता है।

- पालक परिवार बच्चे को शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण प्रदान करने का उत्तरदायी होगा तथा उसे बच्चे की समग्र खुशहाली सुनिश्चित करनी होगी।

बच्चे की भलाई सुनिश्चित करने के लिए आपको निगरानी प्रणाली के बारे में भी पता होना चाहिए।

- समिति प्रतिमाह बच्चे की खुशहाली की जांच करने के लिए पालक परिवार का निरीक्षण करेगी और यदि पालक परिवार बच्चे की ठीक से देखभाल नहीं कर रहा हो तो समिति उस बच्चे की जिम्मेदारी दूसरे पालक परिवार (जो समिति की नज़र में ठीक है) को दे देगी।
- जैसा कि हम सभी जानते हैं ऐसे बच्चों में से कई बच्चे दत्तक ग्रहण के योग्य होते हैं इसलिए
  समिति किसी भी बच्चे को जो दत्तक–ग्रहण के लिए उपयुक्त है, पालक परिवार को लम्बे समय के लिए नहीं देगी।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के आधार पर पालक देखरेख के लिए मॉडल गाईडलाईन्स, 2016 जारी किया है। लिंक स्क्रीन पर दिखाया गया है। समय मिलने पर इसे जरूर पढ़ें।

प्रायोजन (Sponsorship) (किशोर न्याय अधिनियम की धारा 45)

आईए अब विभिन्न प्रकार के प्रायोजन पर दृष्टि डालें।

- बच्चों के लिए विभिन्न प्रायोजन कार्यक्रमों के संचालन के लिए राज्य सरकार नियम बनाएगी जैसे व्यक्ति द्वारा व्यक्ति को प्रायोजन, समूह प्रायोजन या सामुदायिक प्रायोजन।
- आईए अब प्रायोजन के मापदण्डों को देखें
- प्रायोजन हेतु निम्न मापदण्ड शामिल हैं:
  - जहां माँ विधवा या तलाकशुदा है या परिवार द्वारा परित्यक्त कर दी गई है।
  - जहां बच्चे अनाथ हैं और विस्तारित परिवार के साथ रह रहे हैं।
  - जहां माता–पिता जानलेवा बीमारी के शिकार हैं।
  - जहां माता–पिता दुर्घटना के कारण अक्षम हो गए हैं और शारीरिक तथा आर्थिक रूप से बच्चे की जिम्मेदारी लेने के काबिल नहीं हैं।
- प्रायोजन की अवधि बाल संरक्षण सेवाओं (CPS) के दिशानिर्देशों के अनुरूप अथवा प्रायोजन एवं पालक देखरेख स्वीकृति समिति द्वारा निर्धारित की जाएगी।
- प्रायोजन कार्यक्रम के अंतर्गत परिवारों, बाल गृहों और विशेष गृहों को पूरक सहायता दी जा सकती है, जिससे बच्चे की शैक्षणिक, चिकित्सीय, पोषणात्मक तथा अन्य जरूरतों को पूरा किया जा सके, एवं जिससे उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो।

आप जानते हैं कि सभी बच्चों, जिनमें अनाथ बच्चे भी शामिल हैं, को एक सहायता और देखभाल करने वाले पारिवारिक वातावरण में पलने तथा बढ़ने का अधिकार है। केन्द्रीय दत्तक–ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA), भारत में दत्तक–ग्रहण को बढ़ावा देने वाली वैधानिक तथा नोडल एजेन्सी है। आईए अब देखें कि बच्चे को दत्तक–ग्रहण हेतु कानूनी रूप से मुक्त घोषित करने के लिए बाल कल्याण समिति क्या भूमिका निभाती है

दत्तक–ग्रहण के लिए बच्चे को कानूनी रूप से मुक्त घोषित करने की कार्य पद्धति (धारा 38, किशोर न्याय अधिनियम)

- अनाथ या परित्यक्त बच्चे के मामले में समिति बच्चे के माता–पिता या अभिभावकों का पता लगाने का हर संभव प्रयास करती है और जांच पूरी हो जाने के बाद यदि यह स्थापित हो जाए कि बच्चा अनाथ है तथा उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है या वह परित्यक्त है तब समिति यह घोषणा कर देगी कि बच्चा दत्तक–ग्रहण के लिए कानूनी रूप से मुक्त है।
- यदि बच्चा 2 वर्ष तक की उम्र का है तो इस प्रकार की घोषणा बच्चे को समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के दो माह के भीतर तथा यदि बच्चा दो वर्ष से अधिक उम्र का है तो प्रस्तुत करने के चार माह के भीतर इस प्रकार की घोषणा करनी होगी।
- परित्यक्त या त्यागे गए बच्चे की जांच की प्रक्रिया में, इस अधिनियम के अनुसार किसी भी जैविक माता–पिता के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई जाएगी।
- त्यागे हुए बच्चे के मामले में, त्याग करने के प्रार्थना पत्र पर, समिति द्वारा बच्चे को जिस संस्था में रखा गया है उस संस्था को दो माह पूरा होते ही समिति के समक्ष मामला लाना चाहिए ताकि समिति बच्चे को दत्तक–ग्रहण के लिए कानूनी रूप से मुक्त घोषित कर सके।
- अधिनियम के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए मानसिक रूप से बीमार माता–पिता के बच्चे या यौन हिंसा की शिकार महिला के अनचाहे बच्चे को समिति दत्तक–ग्रहण के लिए कानूनी रूप से मुक्त घोषित कर सकती है।
- अनाथ, परित्यक्त या त्यागे गए बच्चे को कानूनी रूप से दत्तक–ग्रहण के लिए 'कानूनी रूप से मुक्त' घोषित करने का निर्णय समिति के कम से कम तीन सदस्यों द्वारा लिया जाएगा।
- प्रत्येक माह समिति को, कितने बच्चे दत्तक–ग्रहण के लिए कानूनी रूप से स्वतंत्र घोषित किए गए हैं और कितने मामले विलम्बित हैं, इसकी जानकारी निर्धारित तरीके के अनुरूप राज्य अभिकरण और प्राधिकरण को देनी होगी।

विचार करें कि बाल कल्याण समिति यहाँ किस प्रारूप का उपयोग करेगी ।

देखरेख और संरक्षण के ज़रूरतमंद बच्चे का पुनर्स्थापन (Restoration) (धारा40, किशोर न्याय अधिनियम, 2015)

देखरेख और संरक्षण के ज़रूरतमंद बच्चों को रखने के विभिन्न संस्थागत एवं गैर संस्थागत विकल्पों पर हमने विस्तार से चर्चा कर ली है। आईए अब देखें कि बच्चे की घर वापसी, जिस पर किशोर न्याय अधिनियम भी जोर देता है, कैसे होती है और इसमें बाल कल्याण समिति क्या भूमिका निभाती है।

- किशोर न्याय अधिनियम की धारा 40 (1) के तहत बाल गृह, विशेषीकृत दत्तक–ग्रहण अभिकरण और खुला आश्रय का प्राथमिक उद्देश्य बच्चे का पुनर्स्थापन होना चाहिए।
- बाल गृह, विशेषीकृत दत्तक–ग्रहण अभिकरण और खुला आवास ऐसे कदम उठाएं जो देखरेख तथा संरक्षण के ज़रूरतमंद बच्चे अपने परिवारिक वातावरण से कुछ समय से या हमेशा के लिए वंचित हैं उनका पुनर्स्थापन हो सके (धारा 40(2))
- पिछले सत्र में हमने बाल कल्याण समिति की शक्तियों तथा जांच की प्रक्रिया को जान लिया है।
- बाल कल्याण समिति के पास देखरेख तथा संरक्षण के ज़रूरतमंद बच्चे को उनके माता–पिता या अभिभावक या उपयुक्त व्यक्ति के पास उनकी क्षमता निर्धारित करके तथा उसकी देखभाल के लिए उन्हें उपयुक्त निर्देश देकर बच्चे को वापस भेजने का अधिकार है।

देखदेख और संरक्षण के ज़रूरतमंद बच्चों को किशोर न्याय अधिनियम विभिन्न तरीकों से संरक्षण प्रदान करता है। आईए देखें कि यह क्या है:–

धारा 74, किशोर न्याय अधिनियम के अनुसार बच्चे की पहचान बताने का निषेध

आपको यह जानकारी अवश्य होनी चाहिए कि किशोर न्याय अधिनियम के तहत बच्चों की पहचान बताना पूर्णरूपेण वर्जित है।

- किसी भी समाचार पत्र, पत्रिका, समाचार–पत्रक, या श्रव्य–दृश्य मीडिया या संचार के किसी भी अन्य तरीके में बच्चे से जुड़ी जांच या छानबीन या कानूनी प्रक्रिया में कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे या देखरेख और संरक्षण के ज़रूरतमंद बच्चे या अपराध के शिकार बच्चे या अपराध के गवाह बच्चे, किसी भी अन्य कानून जो तत्काल प्रभाव में है से जुड़े बच्चों का नाम, पता या स्कूल या अन्य कोई जानकारी जिससे बच्चे की पहचान उजागर हो, प्रकाशित नहीं किया जाएगा, न ही ऐसे बच्चे का चित्र प्रकाशित किया जाएगा।
- जांच के दौरान यदि समिति के मत में बच्चे की पहचान उजागर करना बच्चे के हित में है तो वह बच्चे की पहचान उजागर करने की अनुमति दे सकती है।

किशोर न्याय अधिनियम बच्चे के माता–पिता की उपस्थिति के बारे में क्या कहता है? आईए इसे जानें।

किशोर न्याय अधिनियम की धारा 90 के अनुसार बच्चे के माता–पिता या अभिभावक की उपस्थिति

समिति अपने समक्ष, अधिनियम के किसी भी उपबंध के तहत प्रस्तुत बच्चे के माता–पिता या अभिभावक जो वास्तव में बच्चे के लिए जिम्मेदार है को, बच्चे की तरफ से जब भी ठीक समझे समिति की कार्यवाही में उपस्थित होने का आदेश दे सकती है।

आईए अब बच्चे की उपस्थिति से संबंधित प्रक्रिया को समझें

बच्चे की उपस्थिति में छूट देना (धारा 91, किशोर न्याय अधिनियम, 2015)

- छानबीन के दौरान किसी भी स्तर पर यदि समिति संतुष्ट है कि छानबीन के लिए बच्चे की उपस्थिति आवश्यक नहीं है तो बच्चे की उपस्थिति केवल बयान लेने तक ही सीमित की जा सकती है।
- तत्पश्चात बच्चे की अनुपस्थिति में ही समिति की जांच चलती रहेगी।
- जब समिति के समक्ष बच्चे की उपस्थिति आवश्यक है तब ऐसा बच्चा अपने और अपने एक अनुरक्षक का वास्तविक यात्रा खर्च पाने का हकदार होगा। यह भुगतान समिति या ज़िला बाल संरक्षण इकाई द्वारा किया जाएगा।

बीमारी से पीड़ित बच्चा जिसे चिकित्सा की जरूरत है, उसका स्थापन (किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 92 के तहत)

किसी बीमारी से ग्रस्त बच्चा यदि समिति के समक्ष लाया जाता है और उसे लम्बे उपचार की जरूरत है तो समिति उसे ऐसे किसी भी चिन्हित उपयुक्त सुविधा में, प्रस्तावित अवधि के लिए भेज सकती है जहां उसका आवश्यक उपचार हो सकेगा।

किशोर न्याय अधिनियम की धारा 95 के अनुसार बच्चे के निवास स्थान पर स्थानान्तरण की प्रक्रिया

हम पहले से ही जानते हैं कि किशोर न्याय अधिनियम, बच्चे को उसके परिवार या समुदाय से जोड़ने पर पर्याप्त बल देता है।

- यदि जांच में यह पाया जाता है कि बच्चा समिति के कार्य क्षेत्र से बाहर का रहने वाला है और समिति इस बात से संतुष्ट है कि बच्चे का स्थानान्तरण उसके हित में है तो समिति बच्चे के गृह ज़िला की समिति से सलाह–मशविरा करने के बाद बच्चे की गृह ज़िला की समिति में जल्द से जल्द, सभी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए, तथा किशोर न्याय अधिनियम द्वारा निर्धारित संबंधित कागजातों के साथ स्थानान्तरण का आदेश पारित कर सकती है।

अन्तर्राज्यीय स्थानान्तरण के मामले में क्या प्रक्रिया है?

- अन्तर्राज्यीय स्थानान्तरण के मामलों में बच्चे को यदि सुगम हो तो उसके गृह जिले की समिति को या उसके गृह राज्य की राजधानी की समिति के सुपुर्द किया जाएगा।
- जब स्थानान्तरण का फैसला हो जाता है तब समिति द्वारा विशेष किशोर पुलिस इकाई को बच्चे के अनुरक्षण के लिए अनुरक्षक आदेश दिया जाएगा जिसका अनुपालन आदेश प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर कर लिया जाएगा।
- यदि लड़की हो तो उसके साथ महिला पुलिस अधिकारी होनी चाहिए।

क्या आप बता सकते हैं कि बाल कल्याण समिति यहां पर कौन से प्रारूप, आदेश देने के लिए इस्तेमाल करेगी?

हम विशेष किशोर पुलिस इकाई तथा उसमें पदस्थापित महिला पुलिस अधिकारी के बारे में पहले से ही जानते हैं। यदि विशेष किशोर पुलिस इकाई उपलब्ध नहीं है तब क्या करना चाहिए, आईए देखें:

- जहां पर विशेष किशोर पुलिस इकाई नहीं है तो समिति उस संस्थान को जहां बच्चे को अस्थाई तौर पर रखा गया था या ज़िला बाल संरक्षण इकाई को बच्चे की यात्रा के दौरान अनुरक्षण करने का निर्देश देगी।
- बच्चे के साथ जाने वाले अनुरक्षक (Escort) दल को राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता का अग्रिम भुगतान किया जाएगा।
- जिस समिति को स्थानान्तरित बच्चे की सुपुर्दगी दी जाएगी वह बच्चे के पुनर्स्थापन या पुनर्वास या सामाजिक पुनर्एकीकरण का कार्य अधिनियम में दिए गए निर्देशों के अनुसार करेगी।

किशोर न्याय अधिनियम की धारा 97 के अनुसार बच्चे को संस्थान से मुक्त करना

आईए अब बच्चे को संस्थान से मुक्त करने की कार्य पद्धति को जानें।

- परिवीक्षा अधिकारी या सामाजिक कार्यकर्ता या सरकारी या स्वैच्छिक या गैर सरकारी संगठन की रिपोर्ट पर बाल गृह या विशेष गृह में रखे गऐ बच्चों को समिति मुक्त करने पर विचार कर सकती है।
- यह मुक्ति पूरी तरह हो सकती है या यदि समिति कुछ शर्तें लगाना उचित समझती है तो सशर्त मुक्ति भी हो सकती है। इस मुक्ति द्वारा बच्चे अपने माता–पिता या अभिभावक या किसी ऐसे प्राधिकृत व्यक्ति की देखरेख में रह सकते हैं जिनका नाम आदेश में हों।

समिति बच्चे को ऐसे व्यक्ति की देखरेख में मुक्त करेगी जो उस बच्चे की जिम्मेदारी लेना चाहते हों, जो उसे शिक्षित तथा किसी व्यवसाय के लिए प्रशिक्षित करना चाहते हों या उसके पुनर्वास पर ध्यान देना चाहते हों।

क्या प्रक्रियाहोगी यदि ऐसा व्यक्ति इस जिम्मेदारी को निभाने में असफल होता है?

- जिस व्यक्ति की देखरेख में बच्चे को रखा गया है यदि वह अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में असफल हो तो आवश्यकता होने पर समिति बच्चे की जिम्मेदारी वापस ले लेगी और बच्चे को संबंधित संस्थान में पुनः रख देगी।

किशोर न्याय अधिनियम की धारा 98 के अनुसार संस्थान में रहने वाले बच्चे की अनुपस्थिति के लिए अवकाश देना

हमने बच्चे की घर वापसी में शामिल प्रक्रियाओं को समझ लिया है। आईए अब यह समझें कि बच्चे की संस्थान से अनुपस्थिति के लिए क्या प्रक्रिया है।

- विशेष अवसरों जैसे– परीक्षा, रिश्तेदारों की शादी, संबंधी–रिश्तेदार की मृत्यु या दुर्घटना या माता–पिता की गंभीर बीमारी या किसी प्राकृतिक आपातकालीन स्थिति में समिति किसी भी बच्चे को संस्थान से अनुपस्थित रहने हेतु पर्यवेक्षण के अधीन अवकाश दे सकती है। सामान्यतः यह अवकाश एक बार में सात दिन से अधिक की अवधि का नहीं होगा, इसमें यात्रा करने का समय शामिल नहीं है।
- जिस संस्थान से बच्चे की अनुपस्थिति होगी, अवकाश की अनुमति जिस धारा के तहत दी गई है उसके अनुपालन में बच्चे को जितने समय के लिए बाल गृह या विशेष गृह में रखना है, उसकी समयावधि में अवकाश का समय भी शामिल माना जाएगा।
- यदि कोई बच्चा अवकाश का निर्धारित समय पूरा हो जाने के बाद वापस आने से मना करता है या नहीं आता हो, तो यदि आवश्यक हो तो समिति उस बच्चे की जिम्मेदारी लेने और संबंधित संस्थान में वापस लाने के लिए कार्यवाही करेगी।

बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किए गए व्यक्ति की उम्र निर्धारित करने की क्या प्रक्रिया है?

आईए अब यह जानें कि किशोर न्याय अधिनियम में क्या प्रक्रिया निर्धारित की गई है जिससे यह जाना जा सके कि बाल कल्याण सामिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया व्यक्ति बच्चा है या वयस्क।

किशोर न्याय अधिनियम की धारा 94 के अनुसार उम्र का अनुपालन एवं निर्धारण

- अधिनियम के किसी भी प्रावधान (साक्ष्य देने के अलावा) के तहत समिति के समक्ष प्रस्तुत किए गए व्यक्ति को देखने से यदि समिति को जाहिर हो कि वह व्यक्ति एक बच्चा है तो समिति उम्र के निर्धारण का इन्तजार किए बिना और व्यक्ति की अनुमानित उम्र जितना नजदीकी हो सके उसका अवलोकन दर्ज करके अपनी छानबीन जारी रखे।
- समिति के समक्ष लाए गए व्यक्ति की उम्र के बारे में ठोस कारणों के आधार पर समिति के उस व्यक्ति की उम्र के बारे में शंका होने की स्थिति में, मामले के अनुसार समिति को उम्र निर्धारण की प्रक्रिया, साक्ष्य लेकर पूरी करनी चाहिए ।
- आईए जानें कि उम्र निर्धारण के लिए किस प्रकार प्रमाण लिया जाएगा।
    - उम्र निर्धारण के लिए प्रमाण के रूप में
    - विद्यालय से जन्मतिथि का प्रमाण–पत्र या मैट्रिक अथवा उसके समकक्ष की परीक्षा केसंबंधित परीक्षा बोर्ड से प्रमाण–पत्र और इनकी अनुपलब्धता की स्थिति में;

- नगर निगम, नगर पालिका या पंचायत द्वारा जारी जन्म प्रमाण–पत्र;
- ऊपर के पहले और दूसरे प्रकार के प्रमाण पत्रों के अभाव में उम्र का निर्धारण अस्थि जांच या अन्य किसी उम्र निर्धारण के नवीन चिकित्सीय जांच के द्वारा उम्र का निर्धारण समिति के आदेश पर किया जाएगा।

- बशर्ते कि आदेश पारित होने के 15 दिन के अंदर इस तरह का उम्र निर्धारित करने वाली चिकित्सीय जांच पूरी कर ली जाए।
- समिति के समक्ष लाए गए व्यक्ति की समिति द्वारा दर्ज की गई उम्र, इस अधिनियम के लिए व्यक्ति की सही उम्र मानी जाएगी।

देखरेख और संरक्षण के ज़रूरतमंद बच्चों के संबंध में, अब आप सभी प्रक्रियाओं को जान गए हैं।

महत्वपूर्ण बिन्दू एवं सुझाव

एक पेशेवर के रूप में, कुछ ऐसे बिन्दू हैं, जिन्हें आपको बच्चों के साथ कार्य करते समय महत्वूर्ण मानना चाहिए।

बाल कल्याण समिति तथा बच्चों के साथ कार्य करने वाले व्यक्तियों को ऐसे मामलों में कार्य करना पड़ता है जहां बच्चे सम्भवतः विभिन्न स्तर में आघात की स्थिति में हों, ऐसे बच्चों के साथ कार्य करने के लिए आपका रवैया बहुत महत्वूर्ण है।

इसलिए ऐसे व्यक्तियों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे सक्रिय रूप से सुनने, समानुभूति तथा बच्चे के विचारों को सुनने की आवश्यकता पर केन्द्रित हों, विशेष रूप से उन बच्चों को जो इस उम्र के हों जिसमें अपने लिए सबसे अच्छे उपाय के बारे में निर्णय ले सके।

प्रशिक्षकों को भी अपने प्रशिक्षण में इन बातों के पक्ष पर बल देना चाहिए। सुगमीकरण कौशल (Facilitation Skill) के माड्यूल में आप इन बातों को कुछ गतिविधियों के माध्यम से जानेंगे।

आपने विशेष किशोर पुलिस इकाई के मॉड्यूल में गतिविधि के माध्यम से समानुभूति के बारे में जान लिया है।

आपने आदेशों के प्रारूपों को पहले ही देख लिया है:

आप सन्दर्भ और अतिरिक्त पठन सामग्री भी देख सकते हैं: बाल कल्याण समिति के सदस्यों की भूमिका और उत्तरदायित्व उन लिंकों के माध्यम से जो स्क्रीन पर दिखाए गए हैं; इससे इन सत्रों की समझ और गहरी होगी।